न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 144/2014

प्रार्थीगण :- बनाम अप्रार्थी :-

1. ढगलाराम पुत्र घीसाराम
2. प्रकाश पुत्र नाथुराम
3. दुदाराम पुत्र शंकरलाल
4. जगफुल पुत्र परसाराम
5. नैनाराम पुत्र मुलतान
6. कालुराम पुत्र देशराज
7. होशियार पुत्र देशराज

सभी जातियान-सतनामी साद
निवासीगण-लितरिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजूः. 13/08/2014

उपस्थितः. 1 श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 01/07/2015

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर-221/1 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा किश्म चाही दोयम कुल भूमि 29 बीघा 06 बिस्वा स्थित हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बर 220/1, 221/1 की भूमि अमरा पुत्र लिछमा से दिनांक 16/05/1958 को जरिए बैचान रजिस्ट्री श्री पंचायति चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान केसुदास, बदरी, काना, मुंशी, नैना के नाम खरीद की हुई हैं। नकल बैचान रजिस्ट्री की प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं एवं खरीद बैचान रजिस्ट्री की नकल तत्कालीन पटवारी को राजस्व रेकर्ड में माफिक बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 के माफिक नाम अमल दरामद करने यानि बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 के माफिक म्यूटेशन भरने बाबत दी। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सिलिप ऑफ पैन लिपिकीय भूल से उक्त खरीद सुदा भूमि के राजस्व रेकर्ड यानि म्यूटेशन संख्या 20 में पंचायती चौकि सतनामी साद लितरिया मुख्यान नही लिखकर केवल मात्र केसुदास बदरी, काना, मुंशी, नैना का नाम लिख दिया गया, जो गलत है। राजस्व रेकर्ड में माफिक बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 के खसरा नम्बर- 220/1 221/1 के राजस्व रेकर्ड मे श्री पंचायति चौकी सतनामी साद लितरीया के मुख्यान केसुदास, बदरी, काना, मुंशी, नैना लिखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। क्योंकि केसू,बदरी,काना,मुंशी,के वारिसान समस्त लितरिया के सतनामी साद लितरिया के मुख्यान की हैशियत से खरीद की हुई हैं, जिसकी बैचान रजिस्ट्री की नकल साथ पेश की है। उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के राजस्व रेकर्ड में माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 के इन्द्राज नही होने से श्री पंचायति चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान यानि पुरा समाज अपने जायज अधिकारों से वंचित रह रहा हैं। इसलिए उक्त आराजी खसरा नम्बर 220/1, 221/1 के राजस्व रेकर्ड में श्री पंचायति चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान लिखन रह गया, जो एक लिपिकिय भूल की तारीफ में आत हैं, जिसका दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। क्योंकि उक्त आराजी ग्राम लितरिया के सतनामी साद के समस्त लोगों द्वारा श्री पंचायति चौकि सतनामी साद लितरिया के मुख्यान के हैशियत से खरीद की गई जिसका इन्द्राज बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 में है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में माफिक रजिस्ट्री बैचान दिनांक 16/05/1958 के केसुदास, बदरी, काना, मुंशी, नैना के नाम के आगे श्री पंचायती चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकलें व बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1958 व म्यूटेशन संख्या 20 की नकल साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आराजी सतनामी समाज लितरिया का हित है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गै.सा. को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा में पेश हुई। अप्रार्थी स्वयं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए। अप्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं। केसुदास, बदरी, काना, मुंशी, नैना के नाम के आगे श्री पंचायती चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायल का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व आधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर–221/1 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा किश्म चाही दोयम कुल भूमि 29 बीघा 06 बिस्वा की भूमि में प्रार्थीगण केसुदास, बदरी, काना, मुंशी, नैना के नाम के आगे श्री पंचायती चौकी सतनामी साद लितरिया के मुख्यान दर्ज किया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner